प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक– 11.10.2021

ट्रक लूट की झूठी सूचना देकर ट्रक व ट्रक पर लदा माल गायब करने वाले तीन शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

गायब ट्रक, उसमें लदा 690 गत्ता रिफाइण्ड आयल, 388 अदद टीन रिफाइण्ड आयल व अभियुक्तों के पास से 12 लाख 50 हजार रू0 नगद बरामद (थाना कोतवाली नगर)

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री सतपाल अंतिल के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध जनपद में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद की स्वाट टीम व थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा, ट्रक लूट की झूठी सूचना देकर ट्रक व ट्रक पर लदा माल गायब करने वाले तीन शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 12 लाख 50 हजार रू0 नगद, गायब ट्रक व उसमें लदा 690 गत्ता, 388 अदद टीन रिफाइण्ड आयल को बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

थाना कोतवाली नगर में वादी श्री राजकिशोर पुत्र स्व0 मायाराम नि0 ग्राम भेगेला थाना शफरगंज जनपद बाराबंकी द्वारा यह सूचना दी गई कि मै ट्रक नं0 यूपी 32 केएन 4309 का मालिक हूं, मैने अपने साथी दिलीप कुमार यादव से अपने ट्रक के लिए चालक मांगा था तो दिलीप यादव द्वारा महफूज उर्फ बाबा नाम का ड्राइवर दिया गया था। चालक महफूज उर्फ बाबा परचून से भरा ट्रक लेकर के अररिया फार्विसगंज, बिहार गया था। 05.10.2021 को जोगबनी बिहार से रिफाइण्ड लोडकर नागपुर के लिए चला था। दिनांक 06.10.2021 को दिन में 03:30 बजे मेरी चालक महफूज से फोन पर बात हुई थी तो उसने बताया कि मै बस्ती में हूं और अकबरपुर, टांडा, आजमगढ़ होकर जाऊंगा जबकि मैने उसे मुजफ्फरपुर, छपरा, आरा, बक्सर, बनारस के रास्ते होकर जाने के लिए बताया था। इसके उपरान्त उसका मोबाइल बन्द हो गया, फिर दिनांक 08.10.2021 को सुबह उसका फोन आया कि प्रतापगढ़ में भुपियामऊ ओवर ब्रिज के पास प्रयागराज रोड पर माल सहित ट्रक छीन लिया गया है। इस सूचना पर वादी की तहरीर पर थाना कोतवाली नगर प्रतापगढ़ में मु0अ0सं0 817/21 धारा 406 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

उक्त मुकदमें के अनावरण/बरामदगी हेतु थाना कोतवाली नगर की पुलिस टीम के साथ–साथ स्वाट टीम प्रतापगढ को भी लगाया था। उक्त पुलिस टीम द्वारा ट्रक को बरामद किया गया तथा ट्रक के पास से दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गये व्यक्तियों में से पहले ने अपना नाम विजय यादव व दूसरे ने अपना नाम दिलीप यादव बताया। पकड़े गये व्यक्तियों की तलाशी में विजय यादव के पास से एक कपड़े के झोले में 06 लाख 50 हजार रू0 नगद व दिलीप यादव के पास से एक लाख रू0 नगद बरामद किया गया।

पूछताछ का विवरण–

पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में बरामद रूपयों के सम्बन्ध में दोनो व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि इस ट्रक पर रिफाइण्ड सोयाबीन आयल लदा है, जिसमें से हमने कुछ माल बेंच दिया है, हमारे पास से बरामद रूपये उसी रिफाइण्ड आयल बिक्री के हैं। अभियुक्त विजय यादव द्वारा ट्रक के सम्बन्ध में बताया गया कि ट्रक मालिक राजकिशोर ने दिलीप से ड्राइवर मांगा था, दिलीप ने मुझे फोन किया तो मैने महफूज उर्फ बाबा खान को ड्राइवर के रूप में दिया था। जब महफूद ट्रक में परचून का सामान लेकर बिहार में अररिया (फार्विसगंज) गया था तो मै भी ट्रक में बैठ गया था। परचून का सामान उतारने के

बाद नेपाल से सोयाबीन आयल लोड हुआ तथा जोगबनी, बिहार से चालान व बिल्टी नागपुर के लिए बनाकर हम लोग माल को फैजाबाद आ गये और हमने वहां दिलीप को बुलाया, दिलीप अपने बोलेरो से आया और वह बोलेरो से आगे–आगे चला तथा हम लोग लखनऊ आ गये। लखनऊ आने पर हमने ट्रक चालक महफूज को बताया कि हम तुम्हे 5 लाख रू0 देंगे और तुम्हारा हाथ बांधकर तुम्हें कहीं छोड़ देगें, तुम सबको बताना कि तुम्हारे साथ लूट हो गई है। इसके बाद हम लोग ट्रक का कुछ माल बेंचकरके 5 लाख रू0 महफूज को दे दिया। उसके बाद महफूज व उसके खलासी को बोलेरो में बैठाकर प्रतापगढ़ लाये और भुपियामऊ के पास महफूज तथा खलासी का हाथ बांधकर उतार दिये और खलासी को धमकी दिये कि अगर तुमने हमारे बताये अनुसार नही बताया तो हम तुम्हे जान से मार देंगे। उसके बाद हम लोग माल बेंचने की फिराक में इधर–उधर घूम रहे थे, हम पूरा माल एक साथ बेंचना चाह रहे थे, लेकिन कोई जगह नही मिल पा रही थी। हम लोगों ने सोचा कि किसी आयल मिल में बेंचा जाय तो एक साथ बेंचा जा सकता है। इसी चक्कर में हम लोग यहां प्रतापगढ़ आये थे कि आप लोगों ने पकड़ लिया।

अभियुक्तों द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर अभियुक्त महफूज को हिरासत में लिया गया तथा उसकी निशानदेही पर ट्रक के केबिन की पीछे की सीट के अन्दर से 5 लाख रू0 नगद बरामद किया गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण–</u>

1. विजय यादव पुत्र राम कृपाल यादव नि0 दुर्गापुरवा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
2. दिलीप यादव पुत्र स्व0 सुखपाल यादव नि0 झबरा घुंघटेर थाना घुंघटेर जनपद बाराबंकी।
3. महफूज उर्फ बाबा खान पुत्र मो0 यासीन नि0 ताड़पुर तुरकौली थाना मोहम्मदपुर खाला जनपद बाराबंकी।

<u>बरामदगी–</u>

1. 12 लाख 50 हजार रू0 नगद ।
2. ट्रक नं0 यूपी 32 केएन 4309।
3. ट्रक में लदा 690 गत्ता व 388 अदद टीन रिफाइण्ड आयल।

<u>पुलिस टीम–</u>

- उ0नि0 राजेश कुमार शुक्ला, उ0नि0 धर्मेन्द्र सिंह, उ0नि0 रामबृक्ष, मु0आरक्षी धीरेन्द्र सिंह, आरक्षी शिव शंकर, आरक्षी नरेश कुमार, आरक्षी सोनू कुमार व आरक्षी सुनील यादव थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।
- प्रभारी सर्विलांस उ0नि0 श्री सुनील कुमार यादव, मु0आरक्षी तहसीलदार तिवारी, मु0आरक्षी जाहिद खान, मु0आरक्षी राजेन्द्र प्रसाद, मु0आरक्षी महेन्द्र प्रताप, मु0आरक्षी पंकज दुबे, आरक्षी प्रवीण कुमार, आरक्षी राजेन्द्र कुमार, आरक्षी अरविन्द दुबे, आरक्षी चन्द्रगुप्त, आरक्षी जागीर सिंह व आरक्षी सत्यम यादव सर्विलांस/स्वाट टीम जनपद प्रतापगढ़।

नोट– पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ द्वारा उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी में सम्मिलित पुलिस टीम को 25,000/– रू0 के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है।

प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक– 11.10.2021

चोरी की 03 मोटर साइकिल के साथ, 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार–(थाना पट्टी)

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री सतपाल अंतिल द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु निरंतर दिये जा रहे निर्देश के क्रम में कल दिनांक 10.10.2021 की रात्रि को थाना पट्टी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर थाना क्षेत्र के बीबीपुर नहर पुलिया के पास से चोरी की 03 मोटर साइकिलों के साथ 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया जबकि तीन अन्य अभियुक्त अंधेरे का लाभ उठाकर भाग निकले।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण–

01. सूरज विश्वकर्मा पुत्र शिवशंकर विश्वकर्मा नि0 बीबीपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।
02. प्रियांशु गुप्ता पुत्र अरविन्द गुप्ता नि0 कस्बा पट्टी थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।
03. शिवम पाल पुत्र लालता प्रसाद पाल नि0 दशरथपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी–

01. 03 अदद चोरी की मोटर साइकिल।

01 यमाहा स्लोटो, नम्बर यूपी 72 एएम 7029।

02 टीवीएस स्पोर्ट, नम्बर

03 बजाज प्लैटिना नम्बर यूपी 25 एबी 4176।

पूछताछ का विवरण–

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पुलिस द्वारा की गयी पूछताछ में बताया कि यह जो यमाहा स्लोटो मोटर साइकिल है इसे हम तीनों ने मिलकर दिनांक 04.10.2021 की रात करीब 08:00 बजे ग्राम कोहरांव के जगन्नाथ गुप्ता के मकान के पास से चुराई थी (इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 369/21 धारा 379, 411 भादवि का अभियोग पंजीकृत है)। अभियुक्तों द्वारा अन्य दो मोटर साइकिलों बजाज प्लैटिना व टीवीएस स्पोर्ट के बारे में बताया गया कि इसे हम लोगों ने अपने तीन अन्य साथियों जो फरार हो गये, के साथ मिलकर प्रतापगढ़ शहर से काफी समय पहले चोरी किये थे, पकड़े जाने के डर से हम लोग गाड़ियों का फर्जी रजिस्ट्रेशन तैयार कर गाड़ियों पर गलत नम्बर अंकित कर इनको चलाने/बेंचने का काम करते हैं। आज भी हम लोग इन मोटर साइकिलों को बेचने हेतु निकले थे कि आप लोगों ने हमे पकड़ लिया।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0 371/2021 धारा 411, 413, 414, 419, 420, 467, 468 भादवि बनाम सभी अभियुक्त।

पुलिस टीम– उ0नि0 एस0एम0 कासिम, आरक्षी राम प्रकाश यादव, आरक्षी विकेश मिश्रा, आरक्षी सुशील पटेल व आरक्षी मनोज यादव थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ।